भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषिमशीनरीप्रशिक्षण एवंपरीक्षणसंस्थान/CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
ट्रैक्टरनगर, बुदनी (म0प्र0)/TRACTOR NAGAR, BUDNI (M.P.) 466 445
Website:http://www.fmttibudni.gov.in **Email:fmti-mp@nic.in** **Tel:07564-234729** **GSTIN:23AAAGC0890H1ZS**
AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE

संख्या/No. 01-9/2021-22-फार्म दिनांक/Dated: 11.03.2022

निविदा सूचना

संस्थान के चीकू एवं कटहल के बगीचों की (जहाँ हैं जैसे हैं) सीमित अवधि की नीलामी हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं:

क्र. सं.	बगीचों का विवरण	कुल पौधों की संख्या	फलित पौधों की संख्या
1.	चीकू बगीचा न. 1	130	130
2.	चीकू बगीचा न. 2	173	172
3.	कटहल बगीचा	108	50

2. नीलामी दिनांक 23 मार्च 2022 समय 10:00 पूर्वान्ह संस्थान के सभागार में होगी।

3. निविदा फार्म का प्रारूप सहित विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाईट <http://www.fmttibudni.gov.in>पर उपलब्ध है।

कृते निदेशक

प्रति,

निदेशक महोदय,
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,
बुदनी, जिला- सीहोर (म.प्र.)-466445।

<u>फल/फसलों की बिक्री हेतु निविदा फार्म</u>

क्रमांक	**विवरण**	**राशि**
1.	निविदाक्रमांक	
2.	निविदाकर्ता का नाम एवं पता मोबाईल न. सहित	
3.	निविदा फॉर्म लेने की अंतिम तिथि व समय	
4.	कार्य अवधि की समय वैद्‌यता	30 जून 2022
5.	फल बगीचों का स्थान	केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (म.प्र.)।
6.	तीनों बगीचों के लिए निविदा मूल्य	

संलग्न:-

1. आधारकार्ड की स्वत: सत्यापित फोटोकापी।
2. पेन कार्ड अथवा वोटर कार्ड अथवा ड्रायविंग लायसेंस की स्वत: सत्यापित फोटोकापी।
3. रू 50/- मूल्य की भारत कोष में जमा करने की रसीद क्र. .... दिनांक ....।
4. रू 40,000/- मूल्य का डिमाण्ड क्र. .... दिनांक ....।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम:

पता मो.न. सहित:

नियम व शर्तें

1. निविदाकर्ता को तीनों बगीचों के लिए निविदा देनी होगी। बगीचों की अलग-अलग नीलामी नहीं होगी।
2. नीलामी फार्म के मूल्य हेतु रू 50/- भारत कोष के माध्यम से जमा करना होगा व उसकी रसीद निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए, जिसके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है।
4. निविदाकर्ता दिनांक 14 से 21 मार्च, 2022 तक किसी भी कार्यदिवस में बगीचे का निरीक्षण करने के लिए श्री जयबीर सिंह, सस्य विज्ञानी से संपर्क कर सकते हैं।
5. बिड सिक्योरिटि के तौर पर रू 40,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो निदेशक, के.कृ.म.प्र. एवं प. संस्थान, बुदनी को देय हो तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किया गया हो।
6. सम्यक रूपेण भरे हुए निविदा फार्म के साथ निम्नांकित संलग्न करनी होगी:
    5. रू 50/- भारत कोष में जमा करने की रसीद।
    6. रू 40,000/- मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट असफल बोलीकर्ता को निविदा पूर्ण होते ही वापिस कर दी जायेगी।
    7. आधारकार्ड की स्वत: सत्यापित फोटोकापी।
    8. पेन कार्ड अथवा वोटर कार्ड अथवा ड्रायविंग लायसेंस की स्वत: सत्यापित फोटोकापी।
7. निविदाकर्ता को अपना नाम एवं पता निविदा प्रपत्र में देना होगा।
8. उपरोक्त तमाम दस्तावेजों के साथ सम्यक रूप से भरे गये निविदा फार्म को मुहरबंद लिफापे में बंद कर संस्थान के निविदा बाक्स में दिनांक 22.03.2022 समय 04:00 बजे तक डाला जा सकता है।
9. निविदा फार्म तमाम दस्तावेजों के साथ डाक द्वारा निदेशक, केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी, म.प्र., पिन- 466445 को भेजी जा सकती है किन्तु 22.03.2022 समय 04:00 बजे अपरान्ह के बाद प्राप्त निविदा को सीधे-सीधे रद्द कर दिया जायेगा। डाक में देरी के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।
10. लिफापे के ऊपर '**चीकू एवं कटहल के लिए निविदा**' लिखा होना चाहिये।
11. सफल निविदाकर्ता को निविदा मूल्य की 25 प्रतिशत राशि '**तत्काल**' भारतकोष द्वारा ऑन-लाईन जमा करनी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिनांक 04.04.2022 तक भारतकोष (ऑन-लाईन) द्वारा करनी होगी। किन्तु फल तोड़ने की अनुमति तभी होगी जब 100- राशि का भुगतान हो चुका हो।
12. अगर 75 प्रतिशत की राशि का भुगतान, निश्चित अवधि तक नहीं किया गया तो निविदा आवंटन, रद्द होने के साथ साथ पहले से जमा 25 प्रतिशत की राशि तथा बिड राशि रू 40,000/- स्वत: जब्त हो जायेगी।
13. निविदा खोलने की तिथि 23.03.2022 समय प्रात: 10:00 बजे होगी।
14. निविदाकर्ता निविदा खोलने के समय स्वयं उपस्थित होवें या किसी प्रतिनिधि (केवल एक व्यक्ति) को उपस्थित होने के लिए अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं।
15. यदि निविदा निपटान समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पाई जाती है, तो बोली को सिरे से खारिज कर दिया जायेगा।
16. निविदाकर्ता निविदा फॉर्म किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

17. फल केवल कार्य दिवस में सुबह 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक तोड़ा जा सकता है।
18. नीलामी के बाद बगीचे/फलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकर्ता की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
19. नीलामी के बाद बगीचे/फलों को किसी भी प्रकार की चोरी/क्षति/हानि/कीटों के हमले के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। तथापि, यदि निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि या उसके मजदूर द्वारा संस्थान की संपत्तियों को कोई नुकसान होता है, तो निविदाकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।
20. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी बाल श्रम को नहीं लगाया जायेगा।
21. जमानत राशि, सफल निविदाकर्ता द्वारा सभी फल तोड़ लिए जाने के बाद वापस कर दी जायेगी।
22. संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अधीन है। अधिनियम के तहत आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है।
23. किसी भी परिस्थिति में, निर्णय का अधिकार, निदेशक, के.कृ.म.प्र.एवं प. संस्थान, बुदनी (म.प्र.) के पास रहेगा और उनका निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

****